7th July, 2017

ज्वेलरी व्यवसाय के लिये GST के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी:

1. How to prepare Bill जब भी एक रजिस्टर्ड जेवेल्लेर आभूषण एक रजिस्टर्ड जेवेल्लेर या रिटेल ग्राहक को बेचता है तब उसे मेकिंग चार्ज बिल में अलग नहीं दिखाना हे। मेकिंग चार्ज का अमाउंट गोल्ड की रेट में ही जोड़ देना है और पूर्ण अमाउंट पर सिर्फ 3% GST लगाना होगा।

2. Making charge जब रजिस्टर्ड जेवेल्लेर एक रजिस्टर्ड कारीगर को आभूषण बनाने के लिए मॉल देता है , उसे जॉब वर्क कहते हे। क्योंकि कारीगर रजिस्टर्ड हे इसलिए वह जेवेल्लेर से मेकिंग चार्ज पर 5% GST वसूल करेगा।

3. Reverse chargeजब रेजिस्टर्स जेवेल्लेर एक कारीगर जो की GST में रजिस्टर्ड नहीं है , उसे आभूषण बनाने के लिए माल देता है तब भी वह जॉब वर्क की श्रेणी में आता है। क्योंकि कारीगर रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए कारीगर के मेकिंग चार्ज पर जेवेल्लेर को 5% GST रिवर्स चार्ज के अंतर्गत भरना पड़ेगा।

4. Exchange of Bullion/ jewellery यदि रिटेल ग्राहक ने साल 2012 में 20000 की ज्वेलरी या बुलियन ख़रीदा हे और उसकी आज की कीमत 100000 है और वह यह ज्वेलरी/बुलियन एक्सचेंज करा कर 140000 की नयी ज्वेलरी खरीदता हे तो इसका मतलब है कि रजिस्टर्ड जेवेल्लेर 100000 की ज्वेलरी खरीद रहा है। इस 100000 की खरीद पर जेवेल्लेर को रिवर्स चार्ज के तहत 3%GST देना होगा। जेवेल्लेर को 140000 की सेल पर 3% GST कलेक्ट करना है। जेवेल्लेर को रिवर्स चार्ज में भरे हुए टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिलेगा।

मगर ये ध्यान रखे की रिटेल ग्राहक को 80000 रुपये पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

5. Repairing of jewellery यदि कोई रिटेल ग्राहक ज्वेलरी रिपेयर या पोलिश करने रजिस्टर्ड जेवेलर्स के पास आता है तो इसे सर्विस की श्रेणी में रखा गया है। इस पर सर्विस चार्ज पर 18% GST लगेगा। यदि रिपेयरिंग में कोई अतिरिक्त सोना लगता है तो सोने की वैल्यू पर 3% GST लगेगा।

6. Conversion of Bullion/jewellery यदि कोई रिटेल ग्राहक रजिस्टर्ड जेवेल्लेर के पास ज्वेलरी या बुलियन को मेलटिग करा कर दूसरी ज्वेलरी बनाना चाहता है तो इसे भी सर्विस की श्रेणी में रखा गया है। रजिस्टर्ड जेवेल्लेर को सर्विस चार्ज पर 18% GST वसूल करना होगा।

7. Exhibition मान लीजिये यदि आप GST के तहत राजस्थान में रजिस्टर्ड हे और आप महाराष्ट्र के ज्वेलरी एक्सहिबिशन में भाग लेना चाहते है तो आपको महाराष्ट्र में माल लाने के पहले GST कानून के तहत आपको महाराष्ट्र में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। ये नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप जितना भी माल एक्सहिबिशन में ला रहे हे , उस पर अंदाज से GST टैक्स भर दे। इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टैक्स के बदले आपको बैंक गारंटी या बैंक बांड भरने की सुविधा मिल सकती है। कृपया सभी आभूषण व्यापारी भाई इस बात का ध्यान रखे। एक्सहिबिशन पूरा होने पर जब आप माल वापस ले जायेंगे तब आपको भरे हुए टैक्स की क्रेडिट वापस मिल जायेगी। कृपया ध्यान रखे आपको टैक्स की क्रेडिट मिलेगी , रिफंड नहीं मिलेगा।

यदि कोई NRI या विदेशी कंपनी भी एक्सहिबिशन में भाग लेंगे तो उन पर भी यही कानून लगेगा।

कृपया ध्यान रखे की इस कानून का उल्लंघन करने पर आपको कोई हादसा होने पर इन्शुरन्स का क्लेम भी नहीं मिलेगा।

8. Wastage and Melting loss साधरणतया मेल्टिंग लॉस को मान लिया जायेगा बशर्ते की लॉस की रिकवरी को स्क्रैप की तरह बेचा जाय। परंतु किसी भी प्रकार के वेस्टेज को लेबर चार्ज के एवज देने से दो बार GST जेवेल्लेर को देना पड़ेगा। मजूरी के बदले वेस्टेज देना भी गोल्ड एक्सचेंज करने जैसा ही हे। इसलिए ये जरुरी है कि जॉब वर्कर को सिर्फ चेक से पेमेंट करे, वेस्टेज के तहत पेमेंट कभी नहीं करे।

9. कॉन्ट्रेक्टर रजिस्टर्ड जेवेल्लेर हमेशा जॉब वर्क का काम खुद डायरेक्ट जॉब वर्कर को दे और पेमेंट भी खुद डायरेक्ट जॉब वर्कर को करे तभी इस पर 5% GST लगेगा। रजिस्टर्ड जेवेल्लेर कांट्रेक्टर से चाहे तो कमीशन तय करे पर सोना हमेशा खुद डायरेक्ट जॉब वर्कर को ही दे।

CA सुरेंद्र मेहता, नेशनल सेक्रेटरी-IBJA